हसदेव नदी, जंगल व पर्यावरण को बचाने, आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति और संविधान को बचाने का राष्ट्रीय आह्वान

4 मई 2022

हसदेव अरण्य क्या है?

छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा व सूरजपुर जिले में स्थित एक विशाल व समृद्ध वन क्षेत्र है जो जैव-विविधता से परिपूर्ण हसदेव नदी और उस पर बने मिनीमाता बांगो बांध का केचमेंट है - जो जांजगीर-चाम्पा, कोरबा, बिलासपुर जिले के नागरिकों और खेतो की प्यास बुझाता है।

यह वन क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नही बल्कि मध्य-भारत का एक समृद्ध वन है जो मध्य प्रदेश के कान्हा के जंगलो को झारखण्ड के पलामू के जंगलो से जोड़ता है। यह हाथी जैसे 25 महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास और उनके आवाजाही के रास्ते का भी वन क्षेत्र है।

यहाँ खनन को लेकर क्या मामला है?

वर्ष 2010 में स्वयं केन्द्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सम्पूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित रखते हुए नो-गो (No-Go) क्षेत्र घोषित किया था। कॉर्पोरेट के दवाब में इसी मंत्रालय के वन सलाहकार समिति (FAC) ने खनन की अनुमति नहीं देने के निर्णय से विपरीत जाकर परसा ईस्ट और केते बासन कोयला खनन परियोजना को वन स्वीकृति दी थी, जिसे वर्ष 2014 में माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने निरस्त भी कर दिया।

हाल ही में WII (भारतीय वन्य जीव संस्थान) की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई जिसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि **हसदेव अरण्य समृद्ध, जैवविविधता से परिपूर्ण वन क्षेत्र है। इसमें कई विलुप्त प्राय वन्यप्राणी आज भी मौजूद है।** वर्तमान संचालित परसा ईस्ट केते बासन कोल ब्लॉक को बहुत ही नियंत्रित तरीके से खनन करते हुए शेष सम्पूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र को तत्काल नो गो घोषित किया जाये। इस रिपोर्ट में एक चेतवानी भी दी गई है कि **यदि इस क्षेत्र में किसी भी खनन परियोजना को स्वीकृति दी गई तो मानव हाथी संघर्ष की स्थिति को संभालना लगभग नामुमकिन होगा।**

अभी की स्थिति क्या है?

दुखद रूप से हसदेव अरण्य क्षेत्र की समृद्धत्ता, पर्यावरणीय महत्व और उसकी आवश्यकता को समझते हुए भी **केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक सिर्फ अडानी कम्पनी के मुनाफे के लिए इसका विनाश कर रहीं है।** हाल ही में नए परसा कोल ब्लॉक और पूर्व संचालित परसा ईस्ट केते बासेन कोल ब्लॉक के दूसरे चरण में खनन की अनुमति हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई अंतिम वन स्वीकृति से लगभग 6 हजार एकड़ क्षेत्रफल में **4 लाख 50 हजार पेड़ों को काटा जायेगा**। ये साल के प्राकृतिक जंगल हैं जिनका आज तक पौधा रोपण संभव नहीं हो सका है। वैसे भी एक बार जंगल काट दिए जाएँ तो इंसानों द्वारा उन्हें दोबारा नहीं उगाया जा सकता।

कानूनी मामला क्या है?

हसदेव अरण्य को बचाने एक दशक से चल रहे आन्दोलन में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को हमेशा नज़रंदाज़ किया गया है। हसदेव अरण्य संविधान की पांचवी अनुसूची क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को अपने जल -जंगल -जमीन, आजीविका और संस्कृति की रक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है। **भारतीय संसद द्वारा बनाए गए पेसा अधिनियम 1996 और वनाधिकार मान्यता कानून 2006 ग्रामसभाओं के अधिकारों को और अधिक शक्ति प्रदान करते हैं।**

परसा कोल ब्लॉक के लिए बेयरिंग एक्ट 1957 के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है वह भी बिना ग्रामसभा सहमती के। इसी कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति भी ग्रामसभा का फर्जी प्रस्ताव बनाकर हासिल की गई है। बिना सहमती के भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृति को निरस्त करने हसदेव अरण्य के ग्रामीणों ने वर्ष 2019 में ग्राम फतेहपुर में 75 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया लेकिन राज्य सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया।

अक्टूबर 2021 में हसदेव से रायपुर तक 300 किलोमीटर पैदल मार्च किया गया। स्वयं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात और कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुई बल्कि इसके विपरीत अडानी कम्पनी के खनन कार्य अवैध और गैरकानूनी रूप से शुरू करवाया जा रहा है।

क्या स्थानीय लोग भी विस्थापन और पर्यावरण विनाश के खिलाफ हैं?

हसदेव अरण्य के इस विनाश के खिलाफ **2 मार्च से पुनः यहाँ निवासरत आदिवासी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।** शांति पूर्ण आन्दोलन के बावजूद 10 लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। **अपने इन्हीं संवैधानिक अधिकारों के तहत वर्ष 2015 में हसदेव अरण्य क्षेत्र की 20 ग्रामसभाओं ने विधिवत प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को प्रेषित किए थे कि उनके क्षेत्र में किसी भी कोल ब्लॉक का आंवटन/ नीलामी ना किया जाये।** बावजूद कार्पोरेट परस्त मोदी सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से 7 कोल ब्लॉक का आवंटन राज्य सरकारों की कंपनियों को कर दिया।

राज्य सरकारों ने इन कोल ब्लाकों को विकसित करने और खनन (MDO) के नाम पर अडानी कंपनी को सौंप दिए। साथ ही इन राज्य सरकारों ने नागरिकों के हितों को ताक पर रखकर बाजार मूल्य से भी अधिक दरों पर अडानी समूह से कोयला लेने के अनुबंध किए जो एक नया कोयला घोटाला भी है।

ग्रामसभाओं के द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध व आन्दोलन के बाद जून 2015 में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गाँधी जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूरी टीम के साथ पूर्व चर्चा और सहमती के बाद हमारे गाँव मदनपुर आये थे। यहाँ उन्होंने चौपाल लगाकर समस्त आदिवासियों को आश्वस्त किया था कि उनकी पार्टी हमारे इस संघर्ष में साथ में खड़ी है और जंगल जमीन का विनाश होने नहीं देगी। परन्तु **कांग्रेस पार्टी आज राज्य में सत्ता में होने के बाद अपने उस वादे से मुकरते हुए मोदी सरकार की सहयोगी बनकर अडानी कंपनी के लिए हसदेव के आदिवासियों से उनके हमारे जंगल जमीन को छीन रही हैं।**

आप हसदेव के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं?

अपने जंगल, जमीन, पर्यावरण, और वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पिछले एक दशक से चल रहे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आन्दोलन को मजबूत करने आपके सहयोग और सहभागिता की अपेक्षा के साथ 4 मई 2022 को अपने अपने क्षेत्रों में आवाज बुलंद करें।

ये लड़ाई सिर्फ देश के किसी एक भाग में चल रही लड़ाई नहीं है – यह हम सबकी लड़ाई है प्रकृति को बचाने की, कानून और न्याय-व्यवस्था को लागू कराने की। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुई भीषण स्थिति की मार हम सब झेल रहे हैं – बेहद ज़रूरी है कि अब हम सब मिलकर साथ आ पाएं।

आपके साथ जितने भी लोग हो सकें – आप पोस्टर या बैनर लेकर अपनी बात रख सकते हैं – फोटो या विडियो लेकर आप अपनी जगह से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस सांकेतिक विरोध में अपना समर्थन दे सकते हैं। अगर संभव हो तो आपके शहर, गाँव या तहसील में एक साथ आकर भी हसदेव के लोगों को अपना समर्थन दें!

#SaveHasdeo #SaveTribals #IStandWithHasdeo #Environment #ClimateChange
#हसदेव_बचेगा_तो_देश_बचेगा

निवेदक - हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति